११/२/२१ पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं।
बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर विचार
किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का
कथन है, कि वादगत भूमि सन् २०१७ में ही
अवाप्त की जा चुकी है। वादी सन् २०१९
में दावा लेकर आये हैं। अवाप्ति के समय
प्रति० खातेदार थे। वर्ष २०१७ में भूमि

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

—क्रमशः—

अधिग्रहण होने से बारानी भूमि पर खातेदारी हक समाप्त हो चुके थे। अधिकार समाप्त होने पर पुनः खातेदारी नहीं दी जा सकती। दावा अधिग्रहण के बाद प्रस्तुत किया है। अतः दावा पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज है। अधिग्रहण होने के बाद राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त हो चुका है। प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि भूमि का प्रतिवादी० के पूर्वज जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड पूर्व में ही बेचान कर चुके है। इस कारण इनका हक खत्म हो चुका था। वर्तमान में कुछ ही भूमि अवाप्त हुई है। बाकी कृषि भूमि है। वादी धारा 88.89 में खातेदारी हकों के निर्णय आया है। खातेदारी हक राजस्व न्यायालय ही दे सकता है। न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार है। वादी की मुख्य रिलीफ खातेदारी है, जो राजस्व न्यायालय की विषय वस्तु है। वाद स्वीकार किया जावे तथा प्रा० पत्र खारिज़ किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा R.R.T. 2007(1) बाबू बनाम अब्बास आदि निर्णय दि० 23.6.2006 की नजीर प्रस्तुत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
समरांखण्डी

-क्रमशः-

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा सितम्बर 2019 में धारा 88, 89, 188 R.T. Act 1955 के तहत भूमि के अधिग्रहण होने के उपरान्त प्रति० द्वारा मुआवजा राशि भुगतान न होने आदि का वादकारण उल्लेखित नहीं हुये प्रस्तुत किया है। वादपत्र की समस्त मदों का अवलोकन करने के उपरान्त स्पष्ट है, कि विवादित भूमि का अधिग्रहण होना स्वीकार किया गया है मुआवजे का भुगतान शेष कारण है। विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि अधिग्रहण हिस्से का हुआ है, सम्पूर्ण भूमि का नहीं हुआ है। परन्तु प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि वादग्रस्त भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत कर लिया गया है परन्तु साक्ष्य में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि भूमि आंशिक अधिग्रहण हुई हो प्रार्थी/वादी के काबिज रहने के भी प्रमाण नहीं है। वादग्रस्त भूमि का अधिग्रहण हो जाने से धारा 63 R.T. Act के प्रावधान निम्न प्रकार है। 63 (iii) when his land has been acquired under the land Acquisition Act 1894 धारा 63 के जिन प्रावधानों में खातेदारी हकों का अवसान हो जाता है, उनमें धारा 63 की उपधारा 3 के प्रावधान भी है। उपखण्ड अधिकारी [illegible] क्रमशः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकारान हुक्म की तामील से आ...
	वादी द्वारा वादपत्र भूमि बाबत ग्राम मौजा — हीरियाखेड़ी की भूमि खसरा नं० 508 पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा की उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया जा चुका की अतएव यह तय है, कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन (राष्ट्रीय राजमार्ग) हेतु उपयोग की भूमि है। धारा 16 की उपधारा 6 R.T. Act 1955 के अनुसार "किसी सार्वजनिक अभिप्राय या सार्वजनिक हित के कार्य के लिये प्राप्त की गई या धारण की गई" भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं जिस भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत ही नहीं हो सकते, उस भूमि पर धारा 88 के तहत भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। प्रकरण पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उद्धरण चस्पा होते की उक्त उद्धरण में माननीय राज० मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, कि "Trial court held that question involved in the suit is that who is the Khatedar of land & not the question of compensation of land acquisitioned - Land acquired before filing of the suit & Possession of land has also been taken by RIICO - No suit is maintainable in revenue court after acquisition	

उपखण्ड अधिकारी

...जनपद

क्रमशः

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

of land. No khatedari rights can be conferred on land acquired for public purpose. Remedy of reference before civil court was available...

उक्त उद्धरण में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्टतः यह निर्धारित किया है, कि "After acquisition for land, no suit is maintainable in revenue court"

इस प्रकार अवाप्त की हुई भूमि पर विधि के प्रावधानों अनुसार खातेदारी नहीं दी जा सकती।

Ordre 7. Rul. 11. C.P.C. के प्रावधान (घ) अनुसार यह प्रकट होता है, कि वाद वादी विधि द्वारा वर्जित है

वाद के विधि द्वारा वर्जित श्रेणी में आने से प्रा० पत्र प्रार्थी O.7.R.11. C.P.C. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः उपर्युक्त विवेचना अनुसार प्रा० पत्र प्रार्थी O.7.R.11. C.P.C. स्वीकार किया जाता है वाद वादी खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री मुर्तिब होवे पत्रावली फैसल शुमार होकर रा० द० होवे।

निर्णय आज दि० 11.2.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(देवाल राम)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~खत्म~~ई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत—उपखण्ड अधिकारी—मुकाम—रामगंज मण्डी

व इजलास—देशल दान (I.A.S.)

2019
00216

निसार अहमद—बनाम—रूपलाल

दावा बाबत—88-89-188 R.T.Act-1955

मुकद्दमा नं.—58—सन्—2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू—मुझ देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी—श्री माकफ अली एड०—मिनजानिब मुद्दई व—श्री R.P. नागर एड०
श्री S.H. नागर एड०
—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

प्रा० पत्र प्रार्थी O.7 R.11 C.P.C. स्वीकार किया जाता है। वाद
वादी खारिज किया जाता है।

चीज—x—मुबालिग—x—बाबत—x

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह—x—फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक—x—को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख—11—माह—02—2021।

को जारी की गई।

महर

दस्तखत—(हस्ताक्षर)
ओहदा—उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान	—	—
मीजान....	—	—			

नोट—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

रा. मु. बो. 139-2006-1,00,000 फार्म

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी